न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 52/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नारायणराम पुत्र बनाराम जाति रेगर निवासी बडली नागौर तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री महावीर सिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 24.11.17

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 41/2015 सरकार बनाम नारायणराम में निर्णय दिनांक 13.07.15 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 485 रकबा 40 x 40 वर्गफुट गै.मु. अंगौर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.4.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.4.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। क्योकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया। उस समय अपीलांट को यह बताया गया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। इसलिये आपके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप करके उसकी सूचना व नोटिस आपके निवास स्थान पर प्रेषित कर दिया जायेगा, जिससे अपीलांट आश्वस्त हो गया। लेकिन ऐसा कोई सूचना व नोटिस भेजे बिना व अपीलांट को जवाब अनुसार साक्ष्य सबूत से वंचित रखने के लिये उसकी पीठ पीछे बाले बाले दिनांक 13.7.15 को आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को नही हो सकी, हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आया व अपीलांट का निवास स्थान को ध्वस्त कर बेदखल करने की कार्यवाही करने बाबत अवगत करवाया व अपीलांट के विरूद्व ऐसा आदेश पारित हो रखा होना बताया। तब अपीलांट ने दिनांक 12.4.17 को तहसील कार्यालय में जानकारी कर नकल का आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 12.4.17 को सायं पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध होने पर पूर्ण जानकारी हुई, लेकिन दिनांक 13.4.17 को मोहल्ले में गमी (मृत्यु) हो जाने से अपील तैयार नही करवायी जा सकी। तत्पश्चात दिनांक 14, 15, 16.4.17 को सरकारी अवकाश होने से दिनांक 17.4.17 को कानूनी सलाह देकर अपील पेश की गई है। जिसे न्याय हित में तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायसंगत है। अपीलांट ने मियाद हेतु प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका राजकीय अभिभाषक द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मामले में नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व एवं न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2}(II)–निर्णय जैर अपील पारित करने से पूर्व इस हेतु जो विधिक प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये थी। वो नही अपनायी गई है। तहसीलदार ने अपीलांट को जवाब में वर्णित तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर दिये बिना निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है तथा तहसीलदार ने मौके की स्थिति के बारे में कोई जांच नही की, स्वयं के स्तर पर कोई निरीक्षण नही किया गया है। कदीम से बसी हुई आबादी के बीच में स्थित अपीलांट के मकान को अंगौर भूमि पर अतिचार करके बनाया होना मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

{2}(III)–जहां तक कथित जमीन के स्वामित्व का प्रश्न है। उसके संबंध में उक्त जमीन कभी भी अंगौर जमीन नही रही है। आबादी भूमि रही है तथा अपीलांट व वहां आस पास निवास करने वाले लोगो के

अपर कलक्टर, नागौर

पूर्वजों के नाम के पटटे भी समय समय पर बाद जांच जारी हो रखे है तथा अपीलांट का रहवासी मकान पुराने समय का बना हुआ है। समय समय पर नगरपालिका मंडल नागौर द्वारा किये गये सर्वे में सर्वे सूची में शामिल किया जाकर मकान आंवटित किये हुए है। उक्त जमीन अपीलांट की कब्जासुद, स्वामित्व की पटटासुद है तथा उस पर मकान कदीम से अपीलांट के पूर्वजों के समय का बना हुआ है। अपीलांट ने तो मकान पुराना होने से हाल ही मरम्मत कार्य अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए करवाया था, मगर अपीलांट से नाराजगी रखने वाले लोगो ने अपीलांट को अनावश्यक तंग परेशान करने हेतु उक्त झूठी कार्यवाही बाले–बाले अपीलांट की पीठ पीछे करवायी गई है। ऐसी सूरत में उक्त कथित जमीन अंगौर जमीन होना नही माना जा सकता न अपीलांट का कोई अतिचार है। इसलिये निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–निर्णय जैर अपील अपीलांट को पूर्णतया साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संपूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट नही हो सकी है और अपीलांट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। जिससे भी निर्णय जैर अपील विधिक निर्णय की तारीफ में नही आता है। अपास्त किये जाने योग्य है। क्योकि उक्त स्थान आबादी की भूमि होने से आबादी बसी हुई है। अपीलांट का मकान आबादी में स्थित है व अपीलांट का मकान 50–70 वर्षो से अधिक पुराना बना हुआ है। इस मकान के चारों तरफ अन्य लोगो के मकानात बने हुए है। उक्त भूमि कभी भी अंगौर भूमि नही रही है। पीढियों से आवासीय प्रयोजनार्थ काम में आ रही है, अगर भौतिक निरीक्षण किया जावे तो संपूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है, बावजूद इसके इन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दरकिनार करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो गलत है। अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार मान कर निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय पारदर्शिता को ध्यान में रख कर पारित नही हुआ है। अगर अपीलांट का मकान अंगौर भूमि में होता तो अपीलांट के मकान के चारों तरफ बने मकान भी अंगौर भूमि में होते और उन सभी लोगो के विरूद्व भी कार्यवाही होती, लेकिन उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही कर अपीलांट के विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अपीलांट का मकान पक्का व पुख्ता एक मात्र रहवास का स्थान है। उक्त निर्णय जैर अपील की पालना में अपीलांट व उसके परिवार को उक्त पुराने बने मकान से बेदखल कर दिया तो अपीलांट व उसके परिवार के रहवास का अन्य कोई स्थान नही रहेगा, बेघर हो जायेगे। उनके हितों पर कुठाराघात होगा व उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे न्याय हित में निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–उक्त जायगा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन सं. 5626/2010 शोभासिंह बनाम राज. सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमे स्थगन आदेश पारित होते हुए भी व उसके बारे में तहसीलदार को अवगत करवा देने व प्रति पेश कर देने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए हस्तगत आराजी बाबत अपीलांट के विरूद्व आदेश जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना की है तथा अपीलांट द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 3884/2017 प्रभुराम बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 4.4.17 के नगरपालिका द्वारा जारी पटटे से संबंधित भूमि पर किये गये निर्माण को हटाये जाने को लेकर स्थगन आदेश पारित किया गया है। जिससे भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा नागौर में स्थित राजकीय अंगौर भूमि पर अतिक्रमण कर बाडा/मकान निर्माण कर लिए जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया जो अपीलांट स्वयं से तामील हुई है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन अंगोर है। नगरपालिका को राजस्व भूमि में पटटे जारी करने के अधिकार नही है। जो भूमियां नगरपालिका में निहित होती है। उसी भूमि के निष्पादन हेतु नगरपालिका अधिकृत है। आराजी भूमि नगरपालिका में निहित नही करती है। ऐसी स्थिति में नगरपालिका द्वारा जारी पटटे कानूनी दृष्टि से शून्य ही माने जायेगे। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दि. 02.08.04 की अनुपालना में अंगौर भूमि पर पूर्व किए गए आवंटन/नियमन को निरस्त करवाए जाने हेतु रेफरेंस तैयार कर सम्बन्धित न्यायालयों में पेश भी किये जा रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का

अपर कलक्टर, नागौर

आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिए।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 485 रकबा 40 x 40 वर्गफुट गैर मुमकिन अंगौर भूमि पर बाडा/मकान का निर्माण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि को लेकर नगरपालिका द्वारा पटटा जारी किया गया भू भाग गै. मु. अंगौर है अथवा नगरपालिका की आबादी भूमि है। इस संबंध में साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लिये जाने चाहिये। इसके अलावा आराजी भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं. 3884/2017 प्रभुराम व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य जिसमें अपीलांट भी पक्षकार है। उक्त अपील में दिनांक 4.4.17 को निर्माण ध्वस्त किये जाने पर स्थगन भी जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.15 अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायलय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आराजी भूमि के संबंध में अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका की वर्तमान स्थिति एवं पारित आदेश के परिपेक्ष्य में ही ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर